न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 52/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. सुरेश चन्द पुत्र श्री नारायण – मृतक वारिसान
   1/1. दिनेश चन्द पुत्र सुरेशचन्द शुक्ला जाति ब्राह्मण निवासी बालेटा ।
   1/2. विधाशरण पुत्र सुरेशचन्द शुक्ला जाति ब्राह्मण निवासी बालेटा ।
   1/3. शीला पुत्री सुरेशचन्द पत्नि सुरेश कोशिक वासी प्लॉट नं0 21, ज्योति नगर, निवारू रोड़ झोटवाड़ा जयपुर ।
   1/4. शकुन्तला देवी पत्नि सुरेशचन्द जाति ब्राह्मण वासी ग्राम बालेटा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।
2. निर्मल कुमार पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम बालेटा तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. चन्दूलाल पुत्र श्री रामचन्द जाति ब्राह्मण – मृतक
   1/1/1. विजय कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद शुक्ला जाति ब्राह्मण निवासी शुक्ला मेडिकल हॉल, मालवीय नगर, अलवर राज0 ।
   1/1/2. देशराज शुक्ला पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद शुक्ला जाति ब्राह्मण निवासी शुक्ला मेडिकल हॉल, सुनील नर्सिग होम के सामने, अलवर (राज0)
   1/1/3. राकेश कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद शुक्ला जाति ब्राह्मण निवासी शुक्ला मेडिकल हॉल मालाखेड़ा, तहसील व जिला अलवर राज0 ।
   1/2. रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री चन्दूलाल निवासी प्लॉट नं0 41, मोहन नगर, आई. टी.आई. कॉलेज के पास, 150 फुट रोड़ अलवर ।
   1/3. रामोतार पुत्र स्व0 चन्दूलाल वासी ग्राम बालेटा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।
   1/4. राधेश्याम पुत्र स्व0 चन्दूलाल निवासी जयपुर ।
   1/5. शिवलाल पुत्र स्व0 चन्दूलाल वासी ग्राम बालेटा तहसील मालाखेड़ा ।
   1/6. हरिनारायण पुत्र स्व0 श्री चन्दूलाल वासी ग्राम बालेटा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।
2. बदरीप्रसाद पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर मृतक वारिसान –
   2/1. मनोज पुत्र बदरीप्रसाद ब्राहमण बालेटा ।
   2/2. अशरफी पत्नि बदरीप्रसाद ब्राह्मण बालेटा ।
   2/3. मयंक पुत्र कमलेश पौत्र बदरीप्रसाद नाबालिग सरपरस्त अशरफी दादीखुद
   2/4. समीर पुत्र कमलेश नाबालिग सरपरस्त अशरफी दादी खुद ।

2/5. सीमा पत्नि राजेश वासी ग्राम बालेटा ।
2/6. निधि पुत्री राजेश नाबालिग बसरपरस्त सीमा माता खुद ।
2/7. परिधि पुत्री राजेश नाबालिग सरपरस्त सीमा माता खुद जाति ब्राह्मण वासी ग्राम बालेटा ।
2/8. नीलम पुत्री बदरीप्रसाद ग्राम गढ़ तहसील रैणी हाल जयातपुरा जयपुर ।

3. कैलाशचन्द पुत्र श्री नन्दकिशोर ब्राह्मण वासी ग्राम बालेटा ।
4. मुरारीलाल पुत्र श्री नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी थानागाजी प्रतापगढ़ रोड़ तहसील थानागाजी ।
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र नन्दकिशोर ब्राह्मण वासी थानागाजी प्रतापगढ़ रोड़ ।

..... असल रेस्पो0

6. ललिता पुत्री श्रीनारायण पत्नि श्री रामबाबू वशिष्ठ वासी प्लॉट नं0 178 गोविन्द नगर जयपुर ।
7. कमला देवी पुत्री श्रीनारायण पत्नि श्री मोहनलाल शर्मा निवासी बैंक कॉलोनी अलवर
8. श्यामा देवी पुत्री श्रीनारायण पत्नि श्री रामकिशोर निवासी प्लॉट नं0 178 के सामने गोविन्दनगर, जयपुर ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री जयकृष्ण गुप्ता अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दाताराम गुप्ता अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–15.12.2017

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 23.02.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 875 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा हाल ख0 नं0 1801 रकबा 0.71 ऐयर ग्राम बालेटा तहसील अलवर स्थित श्रीनारायण व चन्दूलाल के हिस्से में आयी थी । इसमें श्रीनारायण का निस्फ हिस्सा था किन्तु चन्दूलाल ने रेकार्ड हाल बन्दोबस्त में सालिम भूमि को अपने नाम इन्द्राज करा लिया था । इस कारण वादीगण ने इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा किया । उक्त दावे का निर्णय सहायक जिलाधीश मुख्यालय अलवर से दिनांक 17.8.90 को हुआ । इस निर्णय के आधार पर सम्वत् 2010 ल0 2014 की जमाबन्दी में अंकित संयुक्त खातेदार घोषित किये गये यानि श्रीनारायण, चन्दूलाल, नन्दकिशोर के नाम का इन्द्राज होने से श्रीनारायण के वारिसान चन्दूलाल व नन्दकिशोर मृतक को संयुक्त खातेदार घोषित किया गया तथा इस निर्णय में यह भी तय किया गया कि वादी चाहे तो तकासमा का दावा दायर कर सकते हैं ।

मौके पर हमने व चन्दूलाल ने घरेलू तौर पर आराजी बांट रखी है किन्तु राजस्व रेकार्ड में संयुक्त दर्ज है और रेकार्ड बन्दोबस्त में जो इन्द्राज अकेले चन्दूलाल के नाम कर

दिया गया था उसे न्यायालय ने अपने निर्णय में गलत मानते हुए जमांबन्दी सम्वत् 2010 ल0 2014 के इन्द्राज के आधार पर तीनों को संयुक्त खातेदार माना है । इसलिए इस दावे में नन्दकिशोर के वारिसान को भी फरीक बनाया जा रहा है और संयुक्त में कब्जा रखना मुश्किल है और राजस्व रेकार्ड में भी अलग–अलग इन्द्राज होना आवश्यक हो गया है । इसलिए वाद वादीगण तकसीम डिक्री फरमाया जावें और इस आराजी का विभाजन कराया जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया तथा प्रतिवादीगण की तामील नहीं होने पर जरिये अखबार प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये । प्रतिवादीगण नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दि0 23.02.2012 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 23.02.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जूर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय में हमारे द्वारा बंटवारा का दावा पेश किया था जिसे खारिज कर दिया । इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गई है । श्रीनारायण ने चन्दू के विरूद्ध धारा 88, 89 का दावा दायर किया जो दिनांक 17.8.90 को डिक्री हो गया और हमारा 1/2 हिस्सा माना और उसमें निर्देश थे कि ये विभाजन का दावा कर सकते हैं । दिनांक 12.1.99 से श्रीमान् के न्यायालय द्वारा निर्णय हुआ जिसमें तहत न्यायालय का निर्णय बहाल रखा गया । फिर हमने 53 व 188 आर.टी. एक्ट का दावा किया जो एकपक्षीय खारिज किया गया है । तहत न्यायालय का निर्णय आधारहीन है । तहत न्यायालय ने पूर्व के निर्णय को नहीं देखा तथा अपीलीय कोर्ट के निर्णय को भी नहीं पढ़ा जिसमें हमें 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया था । तहत न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय था जिसमें रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए तो भी हमारा दावा प्रारम्भिक डिक्री क्यों खारिज किया गया जबकि वादी के पक्ष में पूर्व में किये गये निर्णय को दर्ज करना चाहिये था । जहां तक नम्बर नहीं मिलने का प्रश्न है ये भी गलत है । हमने ख0 नं0 875/5.12 है0 का दावा किया है । बन्दोबस्त में भी क्लियर हुआ है । मिलान क्षेत्रफल व निर्णय से जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिया उसमें श्रीनारायण व चन्दूलाल का नाम आ गया । श्रीनारायण व चन्दू दोनों मर चुके हैं । ख0 नं0 875 के नये नम्बर 1801 बने हैं ।

बहस में उन्होंने आगे कहा कि यदि विवादित आराजी का विभाजन हो जाता है । यदि रेकार्ड में कोटिनेन्ट दर्ज नहीं है तो भी विभाजन का दावा पेश हो सकता है । मेरा दावा स्वीकार योग्य था किन्तु तहत न्यायालय ने गलत तथ्यों पर हमारा दावा खारिज किया है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर. आर.डी. 1982 पेज 158 पेश की ।

विद्वान अभिभाषक असल रेस्पो0 ने प्रतिउत्तर बहस में बताया कि यह सही है कि दि0 17.8.90 को तहत न्यायालय से दावा डिक्री हुआ तथा अपील खारिज हुई है । सम्वत् 2010–14 की जमाबन्दी के आधार पर ही खातेदारों को सह खातेदार घोषित किया जाता

है । वादी चाहे तो विवादित आराजी का तकासमा करा सकते हैं । अपीलांट ने डिक्री का अमल क्यों नही कराया । जब रेकार्ड में कोटिनेन्ट ही नहीं दर्ज है तो किस आधार पर विवादित आराजी का विभाजन हो सकता है । जिस निर्णय को रेफर किया है उसकी जमाबन्दी पेश नहीं है जिसमें कौन–कौन खातेदार हैं । अतः जो तहत न्यायालय ने निर्णय किया है वह सही किया है । संयुक्त खातेदार कहां है । सन् 1990 के वाद रकबा के कुल कितने सह खातेदार है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

जवाब उल जवाब में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि मेरा यह कहना है कि तहत न्यायालय ने विवादित आराजी का विभाजन किया है । निर्णय की वैल्यू है । यदि इज्राय नहीं कराया तो भी क्या फर्क पड़ेगा । सन् 1999 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय किया हुआ है । इसलिए दोनों निर्णयों का अवलोकन कराते हुए मेरा विभाजन का वाद स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.2.2012 का अवलोकन करते हुए प्रकरण में पूर्व में सहायक कलक्टर मुख्यालय अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं इस संबंध में इस न्ययालय में की गई अपील के निर्णय का भी अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय का अवलोकन करना तथा अपीलांट द्वारा पेश कानूनी नजीर आर.आर.डी. 1982 पेज 158 का अवलोकन करके विवेचन नहीं करना तथा सहायक कलक्टर मुख्यालय अलवर की डिक्री के परीक्षण के संबंध में भी कोई टिप्पणी नहीं करते हुए प्रकरण में पारित निर्णय विधि विरूद्ध खारिज किया गया है । प्रकरण में आवश्यक रूप से हाल जमाबन्दियों की नकल पेश करवायी जावें तथा उनमें कौन–कौन सह खातेदार है । उन्हें पक्षकार बनाने के संबंध में भी निर्णय किया जावें । इसलिए तहत न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार करके प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर का निर्णय व डिक्री दि0 23.02.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्षों को पुनः सुनकर उक्त बिन्दुओं का अवलोकन करते हुए तथा हाल रेकार्ड तलब करके तथा पक्षकारों को पुनः सुनकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर